

- गुरु-शिष्य योजना के अन्तर्गत रिक्त स्थान की पूर्ति -

श्री दुर्गेश पाण्डेय, शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा, श्री मनोहर जोशी गुरुजी वेद स्वाध्याय केन्द्र ग्राम चकसराय बदल दास (बदली), पोस्ट सोनूघाट, जिला - देवरिया (उत्तरप्रदेश) के रिक्त स्थान पर गुरु-शिष्य परम्परा इकाई योजना के अंतर्गत वेदअध्यापक - शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के सम्परीक्षण आयोजित किये जा रहे हैं।

- वेद अध्यापक हेतु योग्यता -

आयु	-	न्यूनतम 21 वर्ष,
योग्यता	-	संहिता सस्वर कण्ठस्थ, वेद का सांगोपांग अध्ययन, प्रकृतिपाठ, अष्टविकृति। वेद विभूषण प्रमाणपत्र प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता।
अनुभव	-	वेदाध्यापन का 02 वर्ष का अनुभव होने पर वरीयता।
मानदेय	-	प्रतिष्ठान नियमानुसार - 25,000/-

विशेष - जिन्हें पूरी शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा संहिता कण्ठस्थ हो वही उपस्थित हो।

(यह केवल मानदेय आधारित सेवा है, स्थायी/पद आधारित सेवा नहीं है। गुरु-शिष्य योजना के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी स्व-उद्योगी ही माने जाएंगे तथा उनको सहायता राशि दी जाती है)

अध्यापक की तात्कालिक सेवाएं महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के गुरु-शिष्य परम्परा योजना के नियमानुसार होगी। उपर्युक्त सम्परीक्षण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षणिक अभिलेखों एवं आधार कार्ड की मूल एवं स्व प्रमाणित छाया प्रति एवं प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 22.12.2025 को समय प्रातः 10.00 बजे, स्थान - महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, वेद विद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.आ. जवासिया, उज्जैन (मध्यप्रदेश) पिन- 456006 पर उपस्थित रहें।